संख्या-67/2023/2935/22-2-2022-17(961)/2019

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 25 फरवरी, 2023

विषय:-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लियाकत पुत्र श्री बुद्धा, निवासी जनपद-अमरोहा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29977/प्रोबे0अनु0(2)-238/सला0समिति/(एम-14-09-2022), दिनांक 20-09-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लियाकत पुत्र श्री बुद्धा, ग्राम-सलारपुर खालसा, थाना-रजबपुर जनपद-अमरोहा का निवासी है। प्रधानी के चुनाव को लेकर दोनों पक्षों के मध्य चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 16.03.2000 को 13 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर (अंधाधुंध फायरिंग कर) खेत में मटर उखाड़ रहे वाजिद, मजहर, अवरार एवं सरदार नामक 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-156/2000 भा0द0सं0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश/अपर न्यायाधीश, जे0पी0 नगर के आदेश दिनांक 14.12.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.11.2006 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.08.2022 तक 19 वर्ष 07 माह 27 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 07 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 26.08.2022 तक 71 वर्ष 09 माह 03 दिन है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय की पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 06.04.2022 में अंकित किया गया है कि बन्दी लियाकत पुत्र श्री बुद्धा द्वारा चुनावी रंजिश के कारण 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी है, आदि का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया। समिति के सदस्यों का अभिमत है कि दिनांक 16.03.2000 को वादी अपने भाई मजहर, सरदार, अबरार पिता वाजिद खान, चचेरे भाई अंसार, भतीजा सद्दीक और मुमताज खान के साथ मटर के पौधे उखाड रहा था, कि बन्दी ने अपने 13 अन्य सहअभियुक्तों के साथ घेरकर गाली-गलौज करते हुए अन्धाधुंध फायरिंग कर 04 व्यक्तियों की हत्या कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दी। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 सपठित धारा-433 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी लियाकत पुत्र श्री बुद्धा को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लियाकत (बन्दी संख्या-16241) पुत्र श्री बुद्धा, निवासी जनपद-अमरोहा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
राजेश कुमार राय
विशेष सचिव।

संख्या-67/2023/2935(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-अमरोहा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।